



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229540
CG-DL-E-10092021-229540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3366]
No. 3366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

आय-कर

का.आ. 3678(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (vii)कच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अधीन पूंजी आस्ति के अंतरण को, एयर इंडिया लिमिटेड (पैन : AACCN6194P) जो पब्लिक सेक्टर का अंतरक है, एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड (पैन : AAQCA4703M) जो पब्लिक सेक्टर कंपनी की अंतरिती है, अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 104/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

INCOME-TAX

S.O. 3678(E).—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of the section 47 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the transfer of capital asset under plan approved by Central Government from Air India Limited (PAN: AACCN6194P), being transferor public sector company, to Air India Assets Holding Limited (PAN: AAQCA4703M), being transferee public sector company, for the purposes of the said clause.

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 2022 and shall, accordingly, apply in relation to the assessment year 2022-2023 and subsequent assessment years.

[Notification No. 104 /2021/F. No. 370149/158/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)